



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1938

दिनांक-26.10.2026

जोन- दक्षिणी/थाना-कृष्णानगर

- थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा 12 घण्टे के अंदर चोरी की घटना कारित करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।
- कब्जे से चुराई गई ज्वैलरी व नगदी बरामद । (अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये)

01-कार्यवाही विवरण:-

श्रीमान पुलिस आयुक्त लखनऊ श्री तरुण गाबा एवं संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध एवं मुख्यालय) श्रीमती अपर्णा कुमार के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री मो0 मुश्ताक के कुशल निर्देशन, अपर पुलिस उपायुक्त (दक्षिणी) श्री रल्लापल्ली वसंथ कुमार के पर्यवेक्षण तथा सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर श्री लक्ष्मण वर्मा के मार्गदर्शन में प्रभारी निरीक्षक कृष्णानगर श्री प्रदुम्न कुमार सिंह के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा 12 घण्टे के अंदर चोरी करने वाले शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

02-संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक-26.10.2026 को वादिनी मुकदमा श्रीमती कुसुम राजपूत पत्नी श्री संजय कुमार निवासिनी- कनौसी मानकनगर थाना कृष्णानगर, लखनऊ की तहरीरी सूचना दी गयी। जिसमें अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 25.10.2026 को वादिनी मुकदमा के घर से ज्वैलरी चोरी कर लेने के संबंध में थाना कृष्णानगर पर मु0अ0सं0- 0448/2026 धारा 331(3)/305(a) भा0न्याय0सं0 थाना कृष्णानगर लखनऊ बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया ।

घटना के सफल अनावरण एवं अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी के निर्देशन में 02 पुलिस टीमों गठित की गई। गठित पुलिस टीमों द्वारा टैक्निकल एवं मैनुअल साक्ष्यों व स्थानीय सूचना तंत्र के माध्यम से अभियुक्त अमन राजपूत को आज दिनांक 26.10.2026 को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुये माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

03- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

पूछताछ में अभियुक्त अमन द्वारा बताया गया कि साहब, मैं नशे का आदी है तथा नशे की लत के कारण मुझे पैसों की आवश्यकता थी। मेरे भाई एवं भाभी घर से बाहर बाजार गए हुए थे । इस मौके का फायदा उठाकर मैं अपने भाई के घर में घुसकर आभूषण की चोरी कर ली । मैं चुराए गए आभूषणों को बेचकर रुपये प्राप्त करना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि मैं चोरी का माल बेच पाता कि आप लोगो द्वारा मुझे पकड़ लिया गया । साहब, मुझसे गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए ।

04- गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. अमन राजपूत उर्फ भोला पुत्र हीरा लाल निवासी 555क/44 कनौसी थाना कृष्णानगर जनपद लखनऊ उम्र 25 वर्ष ।

05-अनावरित अभियोग:-

1. मु0अ0सं0- 0448/2026 धारा 331(3)/305(a)/317(2) बीएनएस थाना कृष्णानगर लखनऊ ।

06-आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0-398/21 धारा 323/504/506 भादवि0 कृष्णानगर ।

07- बरामदगी विवरण:-

- दो अदद झुमका पीली धातु ।
- एक जोड़ी पायल सफेद धातु ।
- एक अदद सिक्का सफेद धातु ।
- 520/- रुपये नकद बरामद ।

(कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये)

08-गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- थाना कृष्णानगर पुलिस टीम, कमिश्नरेट लखनऊ ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1941

दिनांक-26.10.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गुडम्बा

- थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने का आरोपी 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार
- नाबालिग पीड़िता/अपहृता को बरामद किया गया।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.10.2026 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 408/2026 धारा 137(2)/87 बी०एन०एस० बावत वादिनी मुकदमा की भांजी पुत्री उम्र 17 वर्ष को अभियुक्त हसनैन द्वारा बहला फुसला कर ले जाने के सम्बन्ध में पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा संपादित की जा रही है।

दिनांक 25.10.2026 को अभियोग पंजीकृत होने के विगत 2.5 घण्टे में त्वरित कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/ अपहृता को उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह मय हमराही पुलिस बल के पतारसी सुरागरसी के क्रम में अभियुक्त हसनैन पुत्र मुन्ना उम्र करीब 22 वर्ष निवासी प्लॉट नं० 13 सुन्दर विहार कालोनी निकट शुक्ला चौराहा सैदपुर थाना जानकीपुरम लखनऊ के कब्जे से टेढ़ी पुलिया के निकट टैम्पो स्टैंड के पास से बरामद किया गया तथा अभियुक्त को समय 22.30 बजे नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

02-अनावरित अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 408/2026 धारा 137(2)/87 बी०एन०एस० थाना गुडम्बा लखनऊ।

03-अभियुक्त का विवरण-

1. हसनैन पुत्र मुन्ना निवासी प्लॉट नं० 13 सुन्दर विहार कालोनी निकट शुक्ला चौराहा सैदपुर थाना जानकीपुरम लखनऊ उम्र करीब 22 वर्ष

04-बरामदगी-

➤ मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित नाबालिग पीड़िता/अपहृता।

05-बरामदगी करने वाली टीम थाना गुडम्बा लखनऊ

1. SHO श्री अंजनी कुमार मिश्र
2. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
3. म०उ०नि० सावित्री सिंह
4. का० विकल्प



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं०- 1940

दिनांक-26.10.2026

जोन-पूर्वी / थाना-गुडम्बा

- थाना गुडम्बा पुलिस द्वारा समिति के कूटरचित शपथ-पत्र एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने के अभियोग में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.10.2026 को वादी अरमान पुत्र नबी अहमद निवासी तुकौलया डीडरई, दिराई, जनपद सिद्धार्थनगर, हाल पता अमन सिटी कॉलोनी, थाना गुडम्बा, लखनऊ की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 391/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ पंजीकृत किया गया। वादी द्वारा आरोप लगाया गया कि प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष मो० ताहिर द्वारा समिति के सदस्य आफाक अहमद के हस्ताक्षर कूटरचित कर दिनांक 28.03.2026 का शपथ-पत्र डिप्टी रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, लखनऊ के कार्यालय में प्रस्तुत किया गया, जिससे समिति के सचिव को पद से हटाने/समिति की सूची में परिवर्तन कराने का प्रयास किया गया।

विवेचना के दौरान उपलब्ध अभिलेखों, गवाहों के बयानों एवं संबंधित दस्तावेजों के परीक्षण के आधार पर अभियुक्त मो० ताहिर की गिरफ्तारी आवश्यक पाए जाने पर दिनांक 26.10.2026 को उ०नि० संदीप सिंह गौर मय पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त के निवास स्थान अमन सिटी कॉलोनी, निकट इंटीग्रल विश्वविद्यालय, कुर्सी रोड, थाना गुडम्बा, लखनऊ पर दबिश दी गयी। अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला। पूछताछ के उपरान्त अभियुक्त मो० ताहिर को नियमानुसार उसके निवास स्थान से गिरफ्तार किया गया। जिसके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यचवाही की जा रही है।

02-अभियुक्त से पूछताछ का विवरण

पूछताछ में अभियुक्त ने समिति के सचिव अरमान को समिति से हटाने के उद्देश्य से कार्यवाही करने की बात बतायी। अभियुक्त के बयान में आफाक अहमद के हस्ताक्षर कूटरचित होने की बात भी सामने आयी।

03-पंजीकृत अभियोग का विवरण-

1. मु०अ०सं० 391/2026 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बीएनएस, थाना गुडम्बा, लखनऊ।

04-गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का विवरण-

1. मो० ताहिर पुत्र स्व० जमालुद्दीन, उम्र करीब 50 वर्ष, निवासी अमन सिटी कॉलोनी, थाना गुडम्बा, जनपद लखनऊ।

05-गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. श्री अंजनी कुमार मिश्र, प्रभारी निरीक्षक, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
2. उ०नि० श्री संदीप सिंह गौर, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
3. उ०नि० श्री अतीश कुमार सिंह, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
4. हे०का० भोलेनाथ राय, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
5. का० विवेक सिंह, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
6. का० रवि राणा, थाना गुडम्बा, लखनऊ।
7. म०का० सुमन, थाना गुडम्बा, लखनऊ।



पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ



प्रेस नोट सं0-1939

दिनांक-26.10.2026

जोन-पश्चिमी / थाना- अमीनाबाद

- थाना अमीनाबाद पुलिस द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर ले जाने व पकड़े जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुये आरोपी को हिरासत पुलिस में लेकर कार्यवाही की गयी।
- थाना अमीनाबाद पुलिस की त्वरित कार्यवाही से बड़ी घटना होने से बचाया गया।

01- संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.10.2026 को वादिनी पता-अमीनाबाद लखनऊ द्वारा उनकी नातिन/नाबालिग पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष बहला फुसलाकर ले जाने व पकड़े जाने व अन्य के साथ धर्म परिवर्तन कराने के प्रयास के सम्बन्ध में थाना अमीनाबाद पर मु0अ0सं0 89/26 धारा 137(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0 विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 बनाम 01. नदीम पुत्र उस्मान 02. (माँ) 03. उस्मान (पिता) सर्व निवासीगण अमीनाबाद लखनऊ पंजीकृत कराया गया जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना अमीनाबाद द्वारा की जा रही है।

वादिनी व उनके परिजन व अन्य लोगों की मदद से नाबालिग पीड़िता उम्र करीब 16 वर्ष व अभियुक्त नदीम पुत्र स्व0उस्मान उम्र-19 वर्ष निवासी-इकाना फण्ड मस्जिद माडल हाउस थाना अमीनाबाद लखनऊ को दिनांक 25.10.2026 को लेकर उपस्थित थाना आये थाना अमीनाबाद पर मौजूद व0उ0नि0 अवधेश कुमार चतुर्वेदी व का0 मोहित यादव व म0का0 लवसी की उपस्थित में अभियुक्त उपरोक्त को समय करीब 22.30 बजे हिरासत पुलिस लेकर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा नाबालिग पीड़िता/अपहृता की सकुशल बरामदगी कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

02-गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. नदीम पुत्र उस्मान उम्र-19 वर्ष निवासी- इकाना फण्ड मस्जिद माडल हाउस थाना अमीनाबाद लखनऊ

03-पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 89/26 धारा 137(2) बीएनएस व 3/5(1) उ0प्र0विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 थाना अमीनाबाद लखनऊ

04-गिरफ्तारी करने वाली टीम थाना अमीनाबाद लखनऊ

- 1.वरि0उ0नि0 श्री अवधेश कुमार चतुर्वेदी, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
- 2.का0 मोहित सिंह यादव, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।
- 3.म0का0 लवसी, थाना अमीनाबाद, कमिश्नरेट लखनऊ।